न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी के समक्ष

कलाम सिंह, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 17537 सन् 2006

7 नवंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987 — नियम 7(6) एवं 9 — एक कंडक्टर के खिलाफ दुर्विनियोग के आरोप — जांच अधिकारी द्वारा आरोप साबित नहीं हुए — जांच अधिकारी की रिपोर्ट से अनुशासनात्मक प्राधिकरण असहमत है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद सेवाओं का पर्यवसान — अपीलीय प्राधिकारी दण्ड को उपांतरित करके न्यूनतम वेतनमान को पांच वर्ष की अवधि तक घटाया गया — क्या हेतुक दर्शित करने के लिए सचूना जारी करने से पहले जांच रिपोर्ट की एक प्रति के साथ असंतोष की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को देना अनिवार्य है — अभिनिर्णित, नहीं — जब जांच अधिकारी ने अपचारी कर्मचारी को विमुक्त किया हो तब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र प्रक्रम तब हो सकती है जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच रिपोर्ट के साथ असहमत होने का फैसला करता है — 1987 के नियम 7 (6) के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि अगर दण्ड प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्ष के किसी भी हिस्से के साथ या पूरे निष्कर्ष पर अपनी असहमति दर्ज करता है तो एसी असहमति के अंक के साथ एक संक्षिप्त विवरण अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराना आवश्यक है — अनुशासनात्मक प्राधिकरण का जांच रिपोर्ट के साथ विसम्मति टिप्पण का संचार — नैसर्गिक न्याय के सिध्दांतो का कोई उल्लंघन नहीं — अनुशासनात्मक प्राधिकरण के सभी मुद्दों पर निष्कर्ष सबूतों के आधार पर और कोई कानूनी दुर्बलता नहीं मिली —याचिका खारिज की गई।

अभिनिर्णित, 1987 के नियम 7(6) में संलग्न परंतुक के अनुसार यदि दण्ड प्राधिकारी जांच अधिकारी के किसी भी भाग या पूरे निष्कर्ष के साथ अपनी असहमति दर्ज करता है तब इस तरह की असहमति के अंक के साथ एक संक्षिप्त विवरण अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराना आवश्यक है। उपर्युक्त नियम का धार्मिक अनुपालन किया गया है और हमारे अनुसार अनुशासनात्मक/दण्ड प्राधिकरण के दृष्टिकोण में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं मिल पाई है। अपीलीय प्राधिकरण ने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके नियमों

के नियम 9 के तहत उपांतरित करके न्यूनतम वेतनमान को पांच वर्ष की अवधि तक घटाया गया और निलंबन अवधि या सेवा से बाहर व्यतीत की गई अवधि के लिए किसी भी राशि के भुगतान के लिए भी इनकार कर दिया। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2004 को पारित किया गया आदेश नियमों के नियम 9 के अनुसार है और हमारे हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है।

(पैरा 8 और 9)

आर.एन. शर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए.

निर्णय

न्यायमूर्ति, एम.एम. कुमार.

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा रोडवेज, जिंद में कंडक्टर के पद पर काम कर रहा है। उसने प्रार्थना की है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जिंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 मई, 2004 (उपाबंद P-8) की उसे सेवा से हटा दिया जाए को ख़ारिज किया जाए। उपर्युक्त आदेश को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था लेकिन उसे अंतिम अवसर देकर उसे पदच्युत करने का दण्ड कम किया और वेतनमान कम से कम उपांतरित करके पांच साल की अवधि तक घटा दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा निलंबन की अवधि या सेवा से बाहर की अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ भी नहीं दिया जाना था। परंतु, वह अवधि अन्य सभी लाभों के लिए गिनी जाती।.

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता हरियाणा रोडवेज में एक कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह दावा किया जाता है कि उसको उपायुक्त, जिंद (उपाबंद P-1 और P-2) द्वारा जारी किए गए प्रशस्ति प्रमाण पत्र और प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। 21 नवंबर, 2002 को (उपाबंद P-3) नियम 7 हरियाणा सिविल सर्विसेज (दण्ड और अपील नियम, 1987 (संशिप्त में '1987 के नियम') के तहत बड़ी शास्ति के प्रदान की अपेक्षा में उसे आरोप-पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता पर 468 रुपये की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। उसके द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 16 दिसंबर, 2002 को (उपाबंद P-4) दिया गया। उत्तर असंतोषजनक पाया गया और लेखा अधिकारी, हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट, जिंद को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने दिनांक 25 जून, 2003 (उपाबंद P-5) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह अभिनिर्णित हुआ की याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। हालाँकि, महाप्रबंधक ने मुक़दमे की

फाइल का परिशीलन करके यह पाया कि जांच अधिकारी कुछ मुद्दों पर विचार करने में विफल रहा और जांच अधिकारी की रिपोर्ट से अपनी असहमति दर्ज की। महाप्रबंधक द्वारा पांच मुद्दों पर दर्ज किया गया असहमति नोट निम्नलिखित रूप में है : —

(1) निरीक्षण श्री सुल्तान सिंह, ट्रैफिक मैनेजर, कैथल की देखरेख में किया गया था। उससे भी पूछताछ करना आवश्यक था।

(2) 9 रुपये की प्रति की विक्रीत दिखायी गई है और उसके बाद संख्या 53 को बंद कर दिया गया है। इस प्रति की टिकटों के पहले अंक को अब तक नहीं दिखाया गया है और जो अब तक बंद कर दिया गया है, उनकी लिखाई और 53 के आँकड़े में अंतर है। यदि संख्याएँ को निरीक्षकों द्वारा बंद कर दिया गया था और आपने संख्या को बंद कर दिया था और संख्या 53 को बंद कर दिया गया था, तो प्रतिलिपि का पहला अंक वहां भी लिखा होता।

(3) पुलिस का मामला या नकदी की जाँच इन परिस्थितियों के तहत किया जाता है जब कंडक्टर अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं और वह अछिद्रित टिकट देने से इनकार कर देता है।

(4) करनाल से असन्ध के टिकटों के संयोजन को रुपये 15 + 3 द्वारा बनाने की आवश्यकता है और ना की रुपये 9 + 9 से जैसा की गवाह द्वारा निर्मित किया गया है, वही कंडक्टर द्वारा नई प्रति से जारी किया गया है, जब कंडक्टर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी गई थी क्योंकि कंडक्टर ने वो रुपये 15 + 3 की प्रति से नहीं दिया था क्योंकि निरीक्षक ने रुपये 15 + 3 के अछिद्रित टिकट लिए थे। अगर कंडक्टर ने इस संयोजन के टिकट दिये होते, तब रिपोर्ट के साथ संलग्न टिकटों के बाद भी ऐसा ही होता।

(5) शपथ-पत्र में गवाह ने कहा है कि वह मूत्र करने के लिए बस से नीचे आया था और इस बीच, बस ने चलना शुरू किया और वह उसी स्थान पर रह गया था, यह तथ्य सच नहीं है। क्योंकि जो मज़दूरों वहाँ थे, वह बस को आवाज़ देकर रोक देते क्योंकि वह भी नहीं जानते थे की उन्हें कहाँ जाना है। बिहारी मज़दूर जिनको टिकट जारी नहीं की जाती है, जो फसल काटने आते हैं, उनके साथ बच्चे नहीं होते हैं।

इसलिए, जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत न होकर, मैं श्री कलाम सिंह सी. 125 को उनकी सेवाओं का पर्यवसान के लिए और निलंबन के बाद खर्च की गई अवधि निर्वाह भत्ता की सीमा तक सीमित है के लिए हेतुक दर्शित की सूचना जारी करने का आदेश देता हूँ।"

(3) तदनुसार, याचिकाकर्ता को हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना 24 जुलाई, 2003 को जारी की गई थी (उपाबंद P-6) जिसका उत्तर याचिकाकर्ता ने 8 अगस्त, 2003 (उपाबंद P-7) को भेजा। अंततः, महाप्रबंधक ने 25 मई, 2004 (उपाबंद P-8) को एक आदेश पारित किया और उस का प्रभावी भाग यह है :

"इस मामले में निरीक्षकों ने निर्देशों के अनुसार रुपये 15 + 3 = रुपये 18 के अछिद्रित टिकट लिए हैं। इस मामले में कोई मतभेद नहीं था और कंडक्टर को कोई समस्या नहीं थी जिसके कारण उसने मौके पर निरीक्षक को अछिद्रित टिकट दिये। पपरंतु, इस मामले में, कंडक्टर ने विभाग की धोखा देने की दृष्टि से और खुद का बचाव करने के लिए, रुपये 9 + 9 (दुगुना करके) की टिकट जारी किए और उसी को छिद्रित करने के बाद, किसी अन्य व्यक्ति को लुभा कर गवाह के रूप में उत्पादित किया। जैसा की कंडक्टर द्वारा अपने आरोप-पत्र के जवाब में जैसा की कंडक्टर ने बताया है कि असांध पहुंचने पर उन्होंने वाहन को रोक दिया और 20 मिनटों के बाद में एक व्यक्ति वहां आया जिसके पास टिकट थे। पूछताछ में, प्रश्न उत्तर के दौरान, श्री लेहना सिंह, निरीक्षक और राम कुमार धीमन, उप निरीक्षक ने बताया कि 26 यात्री अलग-अलग बिना टिकट के थे। वे सब साथ नहीं थे। यह भी दर्शाता है कि कंडक्टर ने साक्षी बाद में तैयार किया है और साक्षी असत्य है।"

(4) याचिकाकर्ता की सेवा का पर्यवसान करने के उपर्युक्त आदेश को अपीलीय प्राधिकारी ने उसके दण्ड को उपांतरित करके न्यूनतम वेतनमान को पांच वर्ष की अवधि तक घटाया दिया है। यह भी विनिर्णित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निलंबन या सेवा के बाहर व्यतीत की गई अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। आदेश दिनांक 30 सितंबर, 2004 (उपाबंद P-10) का प्रभावी हिस्सा यह है :

"इस तरह, सब परिस्थितियों का सावधानी से परिशीलन करने के बाद, और अपीलकर्ता की अपील से, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि अपीलकर्ता इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष नहीं है हालाँकि, उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, पिछली सेवा के दौरान, उनका रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है, उसके खिलाफ एक उदार दृष्टिकोण रखते

हुए, मैं उसे परिवहन विभाग में सेवा का अंतिम अवसर पेश करता हूँ और उसे पाँच साल की अवधि की न्यूनतम वेतनमान पर वापस लेकर आए। कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा अपीलकर्ता द्वारा निलंबन याके बाहर व्यतीत की गई अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। परंतु, इस अवधि को अन्य सभी लाभों के लिए गिना जाएगा।"

(5) श्री आर.एन. शर्मा, याचिकाकर्ता के विद्वक अधिवक्ता ने तर्क किए कि दण्ड प्राधिकरण-सह-महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जिंद ने पांच मुद्दों पर पहले असंतोष नोट बनाये बिना, याचिकाकर्ता को जाँच रिपोर्ट की प्रति न सौंपकर कानून की गंभीर त्रुटि की है। विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, दण्ड प्राधिकरण-सह-महाप्रबंधक के लिए अनिवार्य था कि याचिकाकर्ता को, कारण हेतुक दर्शित सूचना जारी करने से पहले, जांच रिपोर्ट और असंतुष्टि की रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराता जिसमे वह अपने विचार व्यक्त करता कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी था। अपने निवेदन का समर्थन करते हुए, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला **प्रबंध निदेशक ईसीआईएल** *बनाम* **बी. करुणकर (1)** के निर्णय के पैरा **29** और इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ का मामला **रमेश कुमार** *बनाम* **हरियाणा राज्य (2)** में निर्णय पीरी निर्भरता रखी है। उन्होंने प्रार्थना की है कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2004 (उपाबंद P -10) को पारित किए गए विवादित आदेश को अपास्त किया जाए और याचिकाकर्ता को सभी पारिणामिक लाभों के साथ सेवा में पुनः बहाल किया जाए।

(6) विद्वक अधिवक्ता को सुनने के बाद हम विचार के हैं कि इस याचिका में योग्यता का अभाव है और इसको खारिज किया जाना चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिध्दांत, जिनकी आवश्यकता होती है कि अनुशासनात्मक अधिकारी अपचारी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाये, इस औचित्य पर आधारित है कि एक अपचारी कर्मचारी के पास, अनुशासनात्मक / दण्ड प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी को दोषी मानते हुए दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत होने का निर्णय करने से पहले, अपने विचार सुनाने का अवसर हो। हमें यह प्रतीत होता है कि उपर्युक्त सिध्दांतो को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला **बी. करुणकर** *(Supra)* के निर्णय

(1) (1993) 4 S.C.C. 727
(2) 2006 (4) R.S.J. 236

के पैरा **29** में व्याख्यान किया गया है ताकि अपचारी कर्मचारी को इस बात पर प्रकाश डालने का एक अवसर प्रदान किया जा सके कि कैसे जांच अधिकारी विशेष तरीके से सबूतों की सराहना करके तथ्यों और क़ानून पर सही नहीं था। ऐसा अवसर उन मामलो में देना आवश्यक है जहां जांच अधिकारी अपचारी कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह से निष्कर्ष पर आया है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां जांच अधिकारी ने अपचारी कर्मचारी को विमुक्त किया हो तब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र प्रक्रम तब हो सकती है जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच रिपोर्ट के साथ असहमत होने का फैसला करता है। ऐसे मामले में अनुशासनात्मक / दण्ड प्राधिकारी का जांच रिपोर्ट और असहमति के अंक उपलब्ध कराना आवश्यक है, जो की प्रस्तुत मामले में किया गया है। उपर्युक्त प्रक्रिया 1987 के नियम 7 (6) के प्रावधान के आधार पर अनुशासनात्मक / दण्ड प्राधिकरण के लिए उपलब्ध है। अंतः , **बी. करुणकर** *(Supra)* के निर्णय के पैरा 27 में व्याख्यान किए गये सिध्दांत, प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते है।

(7) यहां तक कि अन्यथा हमारे बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर, याचिकाकर्ता के विद्वक अधिवक्ता यह बखान करने में सक्षम नहीं हो पाया कि याचिकाकर्ता कैसे और किस तरह पूर्वाग्रहित हुआ है क्योंकि **बी. करुणकर मामले** *(Supra)* के पैरा **31** में अभिनिर्णित है कि नैसर्गिक न्याय के सिध्दांतो का अनुपालन केवल औपचारिकता नहीं है और कुछ पूर्वाग्रह होना दर्शाया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले की प्रकृति में हम किसी भी पूर्वाग्रह के कारण का अनुमान नहीं लगा सकते है क्योंकि अनुशासनात्मक / दण्ड प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया असहमत होने का फ़ैसला पहली बार अस्तित्व में आया है और याचिकाकर्ता को उसका संचार जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते दौरान हुआ। 1987 के नियम 7 (6) का संदर्भ करना उचित होगा जो कहते है कि : —

> "7. बड़ी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व जांच: -
>
> 1 से 5 xx xx xx xx xx xx
>
> 6. सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद और दण्ड प्राधिकरण का शास्ति जो अधिरोपण करनी है के संदर्भ में एक अनंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, सरकारी कर्मचारी को, अगर अधिरोपित जुर्माना बड़ी शास्ति के संदर्भ में है, जाँच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है और साथ ही विशेष प्रस्तावित दण्ड जो उस पर अधिरोपित किया जाएगा के ख़िलाफ़ कारण दिखाने के लिए उचित समय के भीतर, जो एक महीने से अधिक न हो, बुलाया जाए।

इस सबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रतिनिधित्व को अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले विचाराधीन में लिया जाएगा :

उपबंदित कि दण्ड प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्ष के किसी भी हिस्से के साथ या पूरे निष्कर्ष पर अपनी असहमति दर्ज करता है तो एसी असहमति के अंक के साथ एक संक्षिप्त विवरण अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराना आवश्यक है (महत्त्व दिया)

(8) उपर्युक्त नियम पीरी संलग्न परंतुक के अनुसार यदि दण्ड प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष के किसी भाग के साथ या की पूरी खोज के साथ असम्मत है, तब अपचारी कर्मचारी को असहमति के अंक के साथ एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(9)उपर्युक्त नियम का धार्मिक रूप से अनुपालन किया गया है और हम अनुशासनात्मक / दण्ड प्राधिकारी के विचार में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं पायी गई है। अपीलीय प्राधिकरण ने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके नियमों के नियम 9 के तहत उपांतरित करके न्यूनतम वेतनमान को पांच वर्ष की अवधि तक घटाया गया और निलंबन अवधि या सेवा से बाहर व्यतीत की गई अवधि के लिए किसी भी राशि के भुगतान के लिए भी इनकार कर दिया। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2004 को पारित किया गया आदेश नियमों के नियम 9 के अनुसार है और हमारे हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है।

(10) प्रस्तुत मामले में हम इस विचार के हैं अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा इंगित पर्याप्त सबूत हैं जिसका पूर्ववर्ती पैराग्राफ़्स में हमारे द्वारा संदर्भ में लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला **हरियाणा राज्य** *बनाम* र**तन सिंह (3)** में अभिनिर्णत किया है कि जब राज्य परिवहन उपक्रम का बस कंडक्टर कुछ यात्रियों से किराया एकत्र नहीं करने के लिए आरोपित है और उसके अपराध की स्थापना की गई है तब निष्कर्ष को केवल उसकी लंबे सेवा-काल और किशोर आयु के कारण ख़ारिज नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रेक्षित किया गया है कि उन यात्रियों के बयान जिन्हें कंडक्टर द्वारा वाउचर जारी नहीं किया गया का अभिलेख न करने का तथ्य,

(3) AIR 1977 S.C. 1512

यह अभिनिर्णित करने का आधार नहीं हो सकता की निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य का था। हालांकि, इंस्पेक्टर का बयान अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य को पर्याप्त माना गया है। अगर ऐसी क़ानून की स्थिति का वर्णन **रतन सिंह के मामले** *(Supra)* में किया गया है, फिर वर्तमान मामले के निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए एक अपरिहार्य साक्ष्य है। अनुशासनात्मक / दण्ड प्राधिकरण ने जांच अधिकारी द्वारा किए गए दोष का सही संदर्भ दिया है की कैसे उसने यातायात प्रबंधक सुल्तान सिंह, जिनके तहत निरीक्षण किया गया था, से पूछताछ नहीं की। करनाल से असांध तक के वाउचर का संयोजन रुपये. 15 + रु. 3 के मूल्यवर्ग में होना आवश्यक था, और ना की रु. 9 + रु. 9 में, जो गवाहों द्वारा उत्पादित किए गए थे। उन टिकटों को याचिकाकर्ता द्वारा नई वाउचर पुस्तक से जारी किया गया था जब उसके खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इंस्पेक्टर ने याचिकाकर्ता से रुपये 15 और रु. 3 के अछिद्रित टिकट बरामद किए हैं। अंतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं है। सभी मुद्दों पर निष्कर्ष सबूतों के आधार पर है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं है।

(11) उपर्युक्त कारणों से यह याचिका विफल हो गई है और खारिज की जाती है।

R.N.R.

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा